छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रथम अपील (विविध)क्रमांक 153/2019

श्रीमती संध्या सेन पति संजय सेन
उम्र लगभग 24 वर्ष
निवासी शक्ति नगर सड़क नंबर–1 जोन–1
उत्तम टॉकीज के बगल खुर्सीपार, भिलाई
जिला – दुर्ग
(छ.ग.).....**अपीलार्थिनी**

विरूद्ध

संजय सेन पिता श्री रामसजीवन सेन
उम्र लगभग 31 वर्ष
निवासी पुरानी बस्ती अण्डरब्रिज रोड
वार्ड नंबर–37 शहडोल
(म.प्र.).....**उत्तरवादी**

.....

उपस्थिति –
अपीलार्थी की ओर से श्री अविनाश चन्द्र साहू अधिवक्ता ।

.....

डी.बी.
माननीय श्री न्यायूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ।
माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. चन्द्रवंशी ।

.....

॥ आदेश ॥

(दिनांक 06.04.2021 को पारित)

01. सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02. यह अपील, विचारण न्यायालय द्वारा पारित धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे संक्षेप में 1955 का अधिनियम) के तहत आपसी सहमति से तलाक देने की कार्यवाही में सिविल प्रकरण क्रमांक 198/2018 में न्यायिक पृथक्करण के फैसले दिनांक 12.12.2018 को चुनौती देने वाली है ।

03. दोनों पक्षों का विवाह दिनांक 20.02.2017 को दुर्ग में हुआ, हांलाकि, वे दो दिन ही साथ रहे और उसके बाद कभी भी पति–पत्नी की तरह नहीं रहे । विवाह के एक वर्ष बाद, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए दिनांक 13.03.2018 को संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और अपने–अपने शपथ पत्र पेश कर समर्थन किया गया । 06 महिने की परिसीमित अवधि पूरी होने के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी जाँच की गई । अपने बयान में भी, वे आपसी सहमति से तलाक लेने के अपने फैसले पर कायम रहे, हांलाकि विचारण न्यायालय ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला सुनाने से इंकार कर दिया और इसके बजाए एक साल की अवधि के लिए न्यायिक पृथक्करण का फैसला सुनाया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. नोटिस की तामिली के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ ।

05. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदन में या आपसी सहमति से तलाक प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण, विचारण न्यायालय को आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए था ।

06. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. आपसी सहमति से तलाक के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री प्रदान करते समय विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1955 की धारा 13–ए में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया है, जो यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका पर उपस्थित होने पर, सिवाय इसके कि याचिका धारा 13 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii), (iv) और (vii) में उल्लेखित आधारों पर आधारित है, अदालत यदि वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित समझती है तो इसके बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकती है ।

08. धारा 13–ए में निहित प्रावधान तभी लागू होगा जब विचारण न्यायालय "मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" इस बात से

संतुष्ट हो कि वह आपसी तलाक के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए आदेश पारित करना न्यायसंगत समझता है । "मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" वाक्यांश के लिए विचारण न्यायालय को उन परिस्थितियों का पता लगाना आवश्यक है जो उसे न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित करने के लिए बाध्य करती है । जब तक ऐसी परिस्थितयाँ मौजूद न हो, विचारण न्यायालय यांत्रिक तरीके से न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने का हकदार नहीं है ।

09. विवादित डिक्री पारित करते समय, विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उनके साथ रहने की अवधि इतनी कम है कि यह संभव नहीं है कि इनके बीच कोई गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ हो । हमारे सुविचारित विचारों में विचारण न्यायालय ने यह मान लिया है कि उनके बीच विवाद इतना गंभीर नहीं हो सकता है कि उन्हें आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़े ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अधिनियम, 1955 की धारा 13–बी में निहित प्रावधान आपसी सहमति से तलाक देने के लिए धारा 13 में निहित आधारों के अस्तित्व के लिए प्रावधान नहीं करते हैं । आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए विवाहित जोड़े के बीच गंभीर विवाद होना जरुरी नहीं है । किसी दिए गए मामले में ऐसा हो सकता है कि जोड़े के बीच कोई झगड़ा या विवाद न

हो, लेकिन फिर भी उनके कार्य और व्यवहार एक–दूसरे के साथ सुखी और शांतिपूर्ण विवाहित जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए, वे आपसी सहमति से तलाक मांग सकते हैं । यदि कोई आवेदन अन्यथा विधिवत् रुप से तैयार किया गया है और अदालत के समक्ष उचित रुप से प्रस्तुत किया गया है, तो अदालत को आधार या कारण की तलाश नहीं करनी चाहिए, जिसने पक्षों को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए मजबूर किया है ।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों ने दिनांक 13.03.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 13–बी के तहत आवेदन पेश किया और उसके बाद दिनांक 07.04.2018, 27.10.2018, 04.12.2018 और दिनांक 12.12.2018 को फिर से उपस्थित हुए, विचारण न्यायालय को न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बजाय आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करनी चाहिए थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसलिए, हम अपील को स्वीकार करते हैं, न्यायिक पृथक्करण के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और इसके स्थान पर आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित करते हैं ।

13. तद्नुसार, दिनांक 20.02.2017 को दोनों पक्षों के बीच सम्पन्न विवाह को आपसी सहमति से तलाक के आदेश द्वारा भंग किया जाता है । तद्नसार डिक्री वापस ली जाती है ।

14. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा ।

सही/–
(प्रशांत कुमार मिश्रा)
न्यायाधीश

सही/–
(एन.के. चन्द्रवंशी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुख्य टिप्पणी –

- धारा 13 बी, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955,के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिये पति–पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना पूर्व शर्त नहीं है ।
- आपसी सहमति से तलाक के बैगर न्यायिक पृथककरण के डिक्री यांत्रिक तरिके से कारित नहीं की जा सकती है ।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur